21.5.15

पत्रावली [illegible]-आदेशों में पेश हुई। पत्रावली में निर्णय आदेश लिखा जाकर सारांश के पत्रावली दिया जाता। पत्रावली [illegible] अनुसार [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर [illegible] की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अदालत दिनांक 21.05.2016 के अन्तर्गत केम्प कोर्ट– मालोला
पीठासीन अधिकारी उम्मेदसिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2063/2015

1 श्री अनिल पिता श्री सुगनलाल धाकड नि0 कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया

बनाम

1 श्री शंकर पिता काना माली निवासी जोधडास तहसील व जिला भीलवाडा
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 21.05.2016

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि., 19 कार्यालय मे दिनांक 11.10..2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मालोला प0म0 भीलवाडा मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 667/2 रकबा 0–08–09, आ0नं 0–02–07, आ0नं0 671/2 रकबा 0–08–13, आ0नं0 667/1 रकबा 0–05–11, आ0नं 0–05 कुल किता 5 कुल रकबा 1–10 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दि विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की प चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 11.10.2015 को पंजीबद्ध किया गया। प्रा को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रस पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अ गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार हेराफेरी नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखत सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील मालोला प0म0 मालोला मे स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि आ0न0 667/2 रकबा 0–08 670/2 रकबा 0–02–07, आ0नं0 671/2 रकबा 0–08–13, आ0नं0 667/1 रकबा 0–05 668/1 रकबा 0–05 कुल किता 5 कुल रकबा 1–10 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आरा कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर उभयपक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील कार्यालय 200/–रू0 बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 50 संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलद विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 21.05.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(उम्मेदसिंह राजावत
उपखण्ड अधिकारी, भीलव
भीलवाडा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, भीलव